

PMT/JAB/0427/1673/2023

दिनांक 11-जुलाई-2023

M/S PLATINUM DEVELOPERS THROUGH PARTNER SHRI VISAESH JAGGI
1389 MADHAN MAHAL JABALPUR 482002

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
नगर कार्यका आवेदन पत्र क्रमांक JAB/JAB/JAB/0427/064/2023

1. ज्ञान क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 1/71
2. कॉलोनी का नाम : Village Kugawan, Teh. Gorakhpur, Dist. Jabalpur.
3. प्लॉट क्रमांक : Kh. No. 108, Proposed Layout plan for the development of Residentail Plot - Plotted Housing
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Residential
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
57.610	80.090	3255.850	3254.850

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.75	Total permissible Builtup Area	: 13254.240
Consumed FAR	: 1.850	Proposed Builtup Area	: 3630.860
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 3425.96
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 28.280
		Permissible Ground Coverage	: 30.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE E	0.00	3,630.86	0.00	0.0000	0.00	23.34	6.00	10.90	10.98

10. Floor FAR Details

Building Name	S. No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-BF1	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	604.06
Single	2	FLOOR-PARKING	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	603.91
Single	3	FLOOR-STILT	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	603.91
Single	4	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	37.51
Single	5	FLOOR01	0.00	486.18	0.00	0.0000	0.00	486.18	165.02
Single	6	FLOOR02	0.00	486.18	0.00	0.0000	0.00	486.18	165.02
Single	7	FLOOR03	0.00	486.18	0.00	0.0000	0.00	486.18	165.02
Single	8	FLOOR04	0.00	486.18	0.00	0.0000	0.00	486.18	165.02
Single	9	FLOOR05	0.00	486.18	0.00	0.0000	0.00	486.18	165.02
Single	10	FLOOR06	0.00	486.18	0.00	0.0000	0.00	486.18	165.02
Single	11	FLOOR07	0.00	486.18	0.00	0.0000	0.00	486.18	165.02

नगर पालिक निगम Jabalpur

82

Single	12	FLOOR08	0.00	227.60	0.00	0.0000	0.00	227.60	421.43
1. Paid fees Details									
Memo No.		Amount		Receipt No.		Paid On		Payment Mode	
DMD/JAB/0427/124/20		1.00		RCPT/JAB/0427/208/2023		1/6/2023		Online	
DMD/JAB/0427/3975/2		917387.00		RCPT/JAB/0427/5244/2023		7/11/2023		Online	
DMD/JAB/0427/3975/2		626118.00		RCPT/JAB/0427/5247/2023		7/11/2023		Online	

नगर प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जुलाई-2026** तक विधिवान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में नगर निगम अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वाभिमित्य दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जायेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विनाग इसका लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुमति संपत्ति के स्वाभिमित्य का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वाभिमित्यकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत रॉलन मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य निगम के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जायेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्तन करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के दुरुपयोग पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिसूचित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निरस्त अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा नगर पालिक निगम की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो बांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा नगर पालिक निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टी) डायमीटर का आस्सीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना होगी। अग्निशमन अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास गोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। अग्निशमन व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिमोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिमोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा लैस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।

16. स्वयं पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर निगम की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
 17. नगर प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
 18. यदि मुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
 19. स्वयं पूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
 20. भवन का निर्माण नगर प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
 21. भुज्जों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
 22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
 23. नगर प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
 24. नगर प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
 25. नगर प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
 26. नगर प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिमोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
 27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
 28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।
- उल्लेख शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

नगर निगम अधिकारी

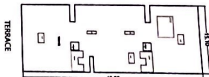
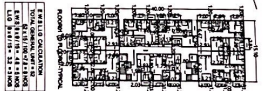
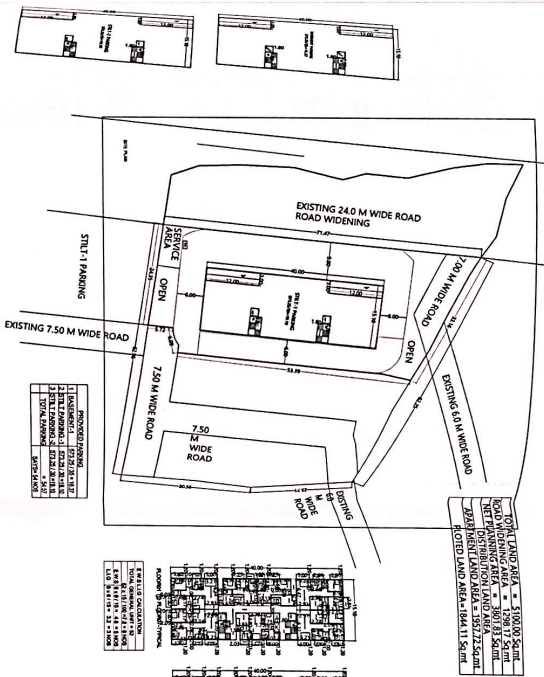
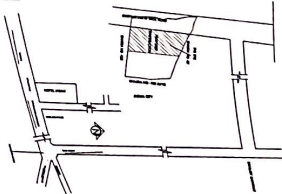
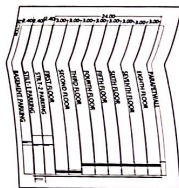
Jabalpur

Digitally signed by A.JAI KUMAR SHARMA

Date: 2023.07.11 22:34:11 +05:30

Reason: Building plan approval

Location: Urban Local Body, Jabalpur



TOTAL LAND AREA =	5100.00 Sq.mt
ROAD WIDENING AREA =	1298.17 Sq.mt
ROAD PLANNING AREA =	3801.83 Sq.mt
NET PLANNING LAND AREA =	3801.83 Sq.mt
DISTRIBUTION LAND AREA =	1957.72 Sq.mt
APPROPRIATE LAND AREA =	1844.11 Sq.mt
PLANNED LAND AREA =	1844.11 Sq.mt

PROPOSED PAVING	
1. BASEMENT-1	\$73.75 / M ² = 14.77
2. SILLT PAVING-1	\$73.25 / M ² = 11.10
3. SILLT PAVING-2	\$73.25 / M ² = 11.10
TOTAL PAVING	* \$4.57
	\$478.54 M ²

EWELL CALCULATION
TOTAL GROSSAL UNIT = 52
22 x 15 / 100 = 3.3 NOS
2 x 5 = 10 x 15 = 4.8 = 5 NOS
LLO 9 x 8 / 15 = 3.2 = 3 NOS

[illegible]



नगर पालिक निगम Jabalpur

85

क्रमांक
PMT/JAB/0427/1933/2023

दिनांक 07-अगस्त-2023

प्रति
M/S PLATINUM DEVELOPERS THROUGH PARTNER SHRI VISAESH JAGGI
1389 MADHAN MAHAL JABALPUR 482002

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक JAB/JAB/JAB/0427/202/2023

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 1/71
2. कॉलोनी का नाम : Village Kugawan, Teh Gorakhpur, Dist Jabalpur
3. भूखंड क्रमांक : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
4. CaseType : Erect
5. LandUse :
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
0.000	0.000	1844.740	1844.740

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 2305.930
Consumed FAR	: 0.850	Proposed Builtup Area	: 1584.630
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 0
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 26.830
		Permissible Ground Coverage	: 0

9. Building FAR Details

S.N	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	1	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
2	10	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
3	11	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
4	12	0.00	75.45	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
5	2	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
6	3	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
7	4	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
8	5	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
9	6	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
10	7	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
11	8	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
12	9	0.00	87.46	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S. No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
12	1	FLOOR-GROUND	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00
12	2	FLOOR01	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00	37.58	0.00

3	FLOOR-GROUND	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00	43.45	0.00
4	FLOOR01	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	42.85	0.00
5	FLOOR-GROUND	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00	44.03	0.00
6	FLOOR01	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	43.43	0.00
7	FLOOR-GROUND	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00	42.21	0.00
8	FLOOR01	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	41.61	0.00
9	FLOOR-GROUND	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00	40.43	0.00
10	FLOOR01	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83	0.00
11	FLOOR-GROUND	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00	42.35	0.00
12	FLOOR01	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00	44.69	0.00
13	FLOOR-GROUND	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00	41.33	0.00
14	FLOOR01	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00
15	FLOOR-GROUND	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00	42.35	0.00
16	FLOOR01	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00	44.69	0.00
17	FLOOR-GROUND	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00	42.35	0.00
18	FLOOR01	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00	44.69	0.00
19	FLOOR-GROUND	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00	41.41	0.00
20	FLOOR01	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	41.35	0.00
21	FLOOR-GROUND	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	34.96	0.00
22	FLOOR01	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00	34.93	0.00
23	FLOOR-GROUND	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00	42.35	0.00
24	FLOOR01	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00	44.69	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/JAB/0427/371/2023	1.00	RCPT/JAB/0427/553/2023	1/18/2023	Online
DMD/JAB/0427/4482/2023	159315.00	RCPT/JAB/0427/5934/2023	8/4/2023	Online
DMD/JAB/0427/4482/2023	244516.00	RCPT/JAB/0427/5931/2023	8/4/2023	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञापत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक 06-अगस्त-2026 तक विद्यमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में नगर निगम अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई

- स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त राशय पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञा स्वीकृति संपत्ति के स्वागित का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंस सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंस इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिष्कारन करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सावांन तथ्य को **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो **मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25** के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संशित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वंछित अनुमति प्राप्ता करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टी) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभाग प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे अधिभाग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर निगम की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ब) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभाग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 3 एवं ड 4 में देना होगी।



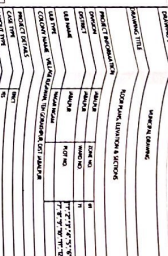
नगर पालिक निगम Jabalpur

४४

भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।
उत्सर्जन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त कर्ता जायेगी।

नगर निगम अधिकारी, Jabalpur

Digitally signed by AJAI KUMAR SHARMA
Date: 2023.08.07 13:51:19 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Jabalpur

[illegible]